न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 14/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/00014)

मनोज कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर पुजारी मन्दिर श्री बाबा रामदेव जी महाराज रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 30.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार रावतसर में पटवार हल्का 15 के.डब्ल्यू.डी. द्वारा एक रिपोर्ट मय पी–14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 12 के डब्ल्यू.डी के प. नं. 144/420 (53) कि. नं. 21/0.253, 22/0.127 है. कुल 0.380 हैक्टर कमाण्ड आराजीराज व कि.नं. 23/0.253 हैक्टर आरक्षित हडडारोडी भूमि पर गैरसायल ने सम्वत 2066 फसल खरीफ नरमा कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट पर अपीलान्ट को अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट जरिये वकील उपस्थित आया। नोटिस का जवाब पेश नही करने पर तहसीलदार रावतसर द्वारा दिनांक 08.10.09 को अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर 98/रूपये तावान एव खड़ी फसल को कुर्क करने के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे स्थगन आदेश की प्रति पेश की तथा तहसीलदार रावतसर के निर्णय दिनांक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

08.10.09 को रिव्यू कर निर्णय दिनांक 14.10.09 द्वारा अपास्त कर दिया। तहसीलदार रावतसर द्वारा अपीलान्ट को सम्वत 2072 मे उक्त भूमि पर नाजायज काश्त करने पर अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत नोटिस जारी किये गये। जवाब में अपीलान्ट ने उक्त भूमि सम्बन्धी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमागनढ द्वारा रिमाण्ड कर पुन सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी रावतसर को भेजी गई तथा अभी जैरकार होने का कथन किया। उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर जवाब आधारहीन माना गया। तहसीलदार रावतसर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.11.2015 द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि पर बैदखल कर कुन्ता की गई फसल राशि वसूल व उक्त भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार कुर्क करने तथा फसल को सार्वजनिक रूप से निलाम कर निलामी फर्द पेश करने तथा पटवारी हल्का को तावान राशि वसूल कर राजकोष मे जमा करवाने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.11.2015 के विरूद्व अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में प्रथम अपील पेश कर तहसीलदार के निर्णय दिनांक 17.11.2015 को निरस्त करने का निवेदन किया। जिस अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.02.2016 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की की गई है।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट ने पटवार हल्का 15 के डब्ल्यूडी द्वारा एक रिपोर्ट मय पी–14 के आधार पर चक 12 केडब्ल्यूडी के प.नं. 144/420 (53) कि.नं. 21 व 22 आराजी राज एवं कि.नं. 23/0.253 हैक्ट. आरक्षित हड्डारोडी पर अतिक्रमण होना वर्णित कर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नोटिस जारी किया गया। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट के विरूद्व सम्वत 2072 में खरीफ की नाजायज काश्त होना वर्णित कर पुन नाटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि के संबध मे अपीलान्ट का एक दावा सहायक कलक्टर रावतसर के समक्ष पेश हुआ जो लम्बित है। इसी कदर अपीलान्ट ने धारा 22 उपनिवेशन की कार्यवाही के विरूद्व एक अपील 10/2009 मनोज कुमार बनाम स्टेट आदि प्रस्तुत की जो अभी तक लम्बित है। तहसीलदार रावतसर ने बाद सुनवाई दिनांक 17.11.2015 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत अतिक्रमी धोषित कर अपीलान्ट को बेदखल करने का और तावान राशि आरोपित करने का आदेश पारित किया। तहसीलदार रावतसर के आदेश दिनांक 17.11.2015 के विरूद्व अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर मे अपील पेश कर तहसीलदार रावतसर के आदेश को निरस्त करने का निवेदन कियां। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर ने बाद सुनवाई अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.02.2016 को खारिज कर दी गई। इस अपील के द्वारा अपीलान्ट उक्त दोनो आदेशो को अपास्त करने का निवेदन किया है।

5. प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बध में वर्तमान में 15 एएए (2क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्रकरण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मनोज कुमार बनाम गंगाराम व हड्डारोडी हेतु दर्ज किला नं. 23 बाबत रिमाण्ड प्रकरण सक्षम अदालत में सुनवाई हेतु लम्बित है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट किसी अतिचारी की हैसियत से काबिज नही है, अपितु उक्त भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य का विश्लेषण किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की अपुष्ट संदिग्ध रिपोर्ट पर कार्यवाही कर अपीलान्ट को अतिचारी मानकर त्रुटि की है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने से पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व व खातेदारी अधिकारो की धोणणा हेतु सक्षम अदालत में चाराजोई लम्बित है, इसलिए अपीलान्ट की हैसियत

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतिक्रमी नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर के निर्णय दिनांक 17.11.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 17.02.2016 को अपास्त करने का आदेश फरमाया जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 17.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमे उन्होने चक 12 के.डब्ल्यू.डी के पं. नं. 144/420 के किला नं. 21 ता 23 की भूमि पर तहसीलदार रावतसर द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 17.11.2015 को पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील को खारिज किया है। तहसीलदार रावतसर द्वारा चक 12 के.डब्ल्यू.डी के पं. नं. 144/420 के किला नं. 21 व 22 आराजीराज व किला नं. 23 हड्डारोडी हेतु आरक्षित भूमि पर अपीलान्ट को धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. में लम्बित प्रकरण मे स्थगन नही होने के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता कि अपीलान्ट ने अपीलाधीन भूमि के सदर्भ मे प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वाद उपखण्ड अधिकारी रावतसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है साथ ही किला नं. 23 को हाडारोडी हेतु आरक्षित करने के संदर्भ में राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18.04.2012 के द्वारा हाडारोडी निरस्त करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया है, इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर की नकल आदेशिका दिनांक 18.01.2023 मनोज बनाम सरकार, रिमाण्ड व प्रकरण धारा 15 एएए (2क) प्रकरण सं. 20/2023 में किसी गांव व खसरा नम्बर का उल्लेख नही है ना ही स्थगन आदेश है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फर्द अहकाम प्रकरण सं. 4/2012 में भी किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही है । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि पूर्णतया

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट के पक्ष में किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही है इसलिए लिए तहसीलदार रावतसर व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णयो किसी हस्तक्षेप की जरूरत नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर